रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 428] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 1972/आश्विन 3, 1894
No. 428] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 1972/ASVINA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th September 1972

S.O. 624(E)/18FB/IDRA/72.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 445(E)/18AA/IDRA/72, dated the 23rd June, 1972, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th June, 1972, the management of the whole of the industrial undertaking of the Andhra Scientific Company Ltd., Machilipatnam (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), has been taken over under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years commencing from the 27th June, 1972.

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the

volume of production in the scheduled industry, namely, the scientific instruments industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the Andhra Scientific Company Ltd., Machilipatnam, was a party or which may be applicable to it) immediately before the date of issue of this Order shall remain suspended and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended.

2. This Order shall remain in force for a period of one year commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F.2/19/72-C.U.C.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1972

का० आ० 624(अ)/18चख/आई डी आर ए/72.—यत: भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 27 जून, 1972 में प्रकाशित भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 445 (ई)/18कक/आई डी आर ए/72 तारीख 23 जून, 1972 द्वारा आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछलीपटनम् (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन 27 जून, 1972 से प्रारम्भ होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है;

और यत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि अनुसूचित उद्योग, अर्थात् वैज्ञानिक उपकरण उद्योग, में उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से जन-साधारण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस आदेश के जारी करने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी निविदाओं, संपत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन (जिनकी आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछलीपटनम्, एक

पक्षकार थी या जो उसे लागू हो जाए) निलंबित रहेगा और उक्त तारीखों के पूर्व उनके अधीन उद्भूत या उत्पन्न होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व निलंबित रहेंगे ।

यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होकर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

[सं० फा० 2/19/72-सी० यू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972